

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

साक्ष प्रबंधक श्रीपानी संयंत्र रावतभाटा

बनाम अधिष्ठात्री अधिकारी, रावतभाटा

मुकदमा नं० वाद

05 सन् 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्राप्त्र पर वकील प्रतिवादी ने जवाब हेतु अवसर चाहा जो दिया जाता है। उभय पक्ष वकील को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया जाता है। पत्रावली तस्ते जवाब प्राप्त्र व प्राप्त्र (0) 7 (R)।। दिनांक 03/6/25 को पेशा हो</p> <p>5.D.0</p> <p>03/06/2025 पत्रावली पेशा हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावई गई वातपूछ सूचना वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में पेशी हेतु न्यायालय में अनुपस्थित रहने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फिसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफतर हो</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (वित्त/अफ)